<u>समक्ष माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प, भोपाल (म.प्र.)</u>

पुनरीक्षण प्रकरण क्र.

1. श्रीमती सविता नन्दनवार, आयु लगभग 55 वर्ष,
पत्नी स्व. श्री उत्तम नन्दनवार

2. श्री रोशन नन्दनवार, आयु लगभग 28 वर्ष
आत्मज स्व. श्री उत्तम नन्दनवार

3. श्रीमती रश्मि नन्दनवार, आयु लगभग 31 वर्ष,
पुत्री स्व. श्री उत्तम नन्दनवार,
निवासी– एम.आई.जी. 45, कोटरा सुल्तानाबाद,
शहर भोपाल ......... आवेदकगण

विरूद्ध

1. सुरेश चोटरानी, आयु वयस्क,
आत्मज श्री नारायणदास चोटरानी,
निवासी– 3–ए–लक्ष्मी कम्पाउन्ड,
लवकुश अपार्टमेंट के पास,
ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

2. असमत अली आत्मज श्री अजमत अली
निवासी– प्रोफेसर कॉलोनी, म.नं. 3,
नियर विद्या विहार स्कूल, भोपाल ......... अनावेदकगण

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959</u>

आवेदकगण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजधानी परियोजना, भोपाल द्वारा प्रकरण क. 13/अपील/14–15 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2016 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहे हैं :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 716—पीबीआर / 16 जिला भोपाल

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 27—12—2017 | आवेदकगण की ओर श्री राजेश गिरी, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक की ओर से श्री अजय ठाकुर, अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष को सुना गया । अनावेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश दिनांक 4—12—2017 की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय से निर्णय हो चुका है । अतः उक्त परिस्थिति को देखते हुए अब इस निगरानी को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित होने से उनके समक्ष प्रचलित कार्यवाही स्थगित किया गया है और व्यवहार वाद का निराकरण हो जाने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अभी प्रकरण का निराकरण किया जाना है । अतः अनुविभागीय अधिकारी का अभिलेख वापिस भेजा जाये। उभय पक्ष अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।<br><br>(मनोज गोयल)<br>अध्यक्ष | |